


2024/58

राजस्थान सरकार

(कायदा - 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला - भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
111-128 RTA प्रार्थनापत्र	36/2024	20/2/2024	 1/5/24	18/3/2024

अनवान

श्री अमिल S/o शम्भूलाल धारू

श्री धीतर S/o गोर्धन सोली

निवासी देवागढ़ तह बिजौलिया

निवासी बिजौलिया तह बिजौलिया
वर्ग ④

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोंडेंट

डिक्रीदार

मदयून

श्री सुरेश कुमार धारू

श्री

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

विजौलियां

अज्ञानेल

वनाम

दीर

नियम मुकदमा

111-128

नम्बर

36 / 2024

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

20/2
/2024

प्रार्थना पत्र सीगे से वाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 18/03/2024 को पेश हों।


उपखण्ड अधिकारी
विजौलियां

18/3/24

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. का दौरा पर हैं। पत्रावली दिनांक 2/4/24 को वास्ते तलबी पेश हो।


उपखण्ड अधिकारी

24/4/24

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. का दौरा पर हैं। पत्रावली दिनांक 23/4/24 को वास्ते तलबी पेश हो।


उपखण्ड अधिकारी


23/4/24

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्राणी उपस्थित। विपक्षीयगण बाद तामील प्राप्त हुई। जिले शांति पत्रावली किया गया। विपक्षीयगण के विरुद्ध छ पक्षीय कार्यवाही के माफिया पारित किए गए। पत्रावली वास्ते निर्णय मागामी दिनांक 1/5/24 को पेश हो।


उपखण्ड अधिकारी
विजौलियां जिला-भीलवाडा

01/5/24

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्राणी उपस्थित। पत्रावली में माफिया पारित किए गए। तलबीकार विजौलियां को पत्रावली के लिए लेखा जाते। पत्रावली फॉलोव शूमार होना, जम्मा ले कर होकर दाखिल दफतर हो।


उपखण्ड अधिकारी
विजौलियां जिला-भीलवाडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 36/24

तारीख दायर 20/2/24

अनिल कुमार पुत्र शंभूलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी देवगढ़ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. छीतर पुत्र गोर्धन जाति कोली उम्र वयस्क निवासी बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. शंकर पुत्र गोर्धन जाति कोली उम्र वयस्क निवासी बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. विमलादेवी पत्नि रमेशचन्द्र जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी सलावटिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. घीसालाल पुत्र मोहनलाल जाति सेन उम्र वयस्क निवासी सलावटिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक 01/5/24

प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रार्थीया ने जरिये अभिभाषक श्री मुकेश कुमार धाकड़ एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम सलावटिया पटवार हल्का सलावटिया तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 3 पर अंकित आराजी संख्या 590 रकबा 0.3237 हैक्टेयर भूमि है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की तार्इद में शपथपत्र संलग्न है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक सलावटिया को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर उपरोक्त वर्णित मौजा ग्राम सलावटिया पटवार हल्का सलावटिया तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 3 पर अंकित आराजी संख्या 590 रकबा 0.3237 हैक्टेयर भूमि की बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा
बिजौलियाँ



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 36/24

तारीख दायर 20/2/24

प्रेषिति :-

तहसीलदार

बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या 36 / 2024 पत्थरगढ़ी वावत।

अनिल कुमार पुत्र शंभूलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी देवगढ़ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

1. छीतर पुत्र गोर्धन जाति कोली उम्र वयस्क निवासी बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. शंकर पुत्र गोर्धन जाति कोली उम्र वयस्क निवासी बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. विमलादेवी पत्नि रमेशचन्द्र जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी सलावटिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. घीसालाल पुत्र मोहनलाल जाति सेन उम्र वयस्क निवासी सलावटिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है जाकर मौजा ग्राम सलावटिया पटवार हल्का सलावटिया तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 3 पर अंकित आराजी संख्या 590 रकबा 0.3237 हैक्टेयर भूमि की बशामलात पड़ोसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नहीं हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढ़ी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक सलावटिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है एवं कमिश्नर फीस 500/- रुपये वक्त पत्थरगढ़ी प्रार्थी अदा करेगा। पत्थरगढ़ी करने से पूर्व पड़ोसी एवं विपक्षीगणों को सूचित करे।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।



3
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा
बिजौलियाँ